तदार काश्तकार घोषित किया जावे। हमने वकील वादीगण
बहस सुनी वास्ते निर्णय हेतु दिनांक
3/11/2019 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

पत्रावली पेश हुई
वकील वादीगण उपस्थ
हमने पत्रावली में मौजूद तथ्यों राजीनामा व
वकील वादीगण की बहस का मनन किया
प्रतिवादी सं. 1 के कायम मुकाम के स्थान पर वादीगण
सं. 1 के कायम मुकाम व 2 के कायम मुकाम को खातेदार
काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित समझते हैं
वादीगण सं. 1 के कायम मुकाम व वादीगण सं. 2 के
कायम मुकाम को प्रतिवादीगण सं 1 के कायम मुकाम के
स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है
विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शीघ्र निर्णय
पालनार्थ प्रति जरिये तहसीलदार रायपुर को प्रेषित
हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर
से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2020.02.27 13:11:14 IST
Reason: SelfAttested